

संशोधन आदेश

आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा जारी पूर्व कार्यालय आदेश के संमसंख्यक पत्रांक 87 दिनांक 29.1.19 के क्रम में राजस्थान पुनरीक्षित (यू.जी.सी) वेतनमान नियम 2018 के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों, लाईब्रेरीयन एवं पी.टी.आई. के वेतन नियतन अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार (वेतन नियतन प्रकरणों में आक्षेपसुदा अथवा अन्य कारणों से लम्बित रहे) वेतन नियतन प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्भागवार कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। प्रकरणों की संख्या अधिक होने के कारण निम्न संशोधन किया जाता है।

दिनांक 7.2.19 को रा.महा., कालाडेरा, रा. महा., श्री गंगानगर, रा.कला महा., सीकर एवं रा.कन्या महा., चौमू।

दिनांक 8.2.19 को कोटा संभाग (कोटा, बूंदी, बांरा, झालावाड जिले में स्थित महाविद्यालय) यथावत आयेंगे।

जोधपुर संभाग (जोधपुर, जालोर, पाली, बाडमेर, सिरोही, जैसलमेर जिले में स्थित महाविद्यालय) दिनांक 8.2.19 के स्थान पर दिनांक 13.2.19 को आयेंगे।

दिनांक 14.2.19 को राजकीय महाविद्यालय, व्यावर आयेंगे।

शेष बचे प्रकरणों के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा वित्तीय सलाहकार से तिथि निर्धारित करवाने के पश्चात ही उपस्थित हो। बिना स्वीकृति/ सहमति प्राप्त किये आने पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

अतिरिक्त आयुक्त

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 24(जे)(1)(यू.जी.सी.)लेखा/आकाशि/वेतन निर्धारण/2019/91-94 दिनांक - 6.2.19

1. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. प्राचार्य, राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।
3. प्रिक्शेसन दल के सदस्य दिनांक 15.2.19 तक यथावत कार्य सम्पादित करेंगे।
4. बेवसाईट प्रभारी कृपया बेवसाईट पर अपलोड करावें।

वित्तीय सलाहकार

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर